मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झांसी

एम.ए.सी.पी. संख्या– 361/2019,

हरीराम आदि बनाम प्रदीप विश्वनवी आदि

19.02.2020

पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली आज वास्ते आदेश नियत है। याचीगण के विद्वान् अधिवक्ता श्री हेमन्त कुमार झा तथा विपक्षी सं. 3 चोला मण्डलम एम. एस. जनरल इंश्योरेन्स कं. लि. की ओर से उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री सुनील शुक्ला उपस्थित हैं।

याचीगण व विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी के मध्य हुआ सुलहनामा 16 बी दाखिल किया गया है जिसके अनुसार याचीगण व विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ 6,45,000/– रुपये याचीगण को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी, जिसमें धारा–140 एम.वी.एक्ट की धनराशि भी समाहित है।

16B सुलहनामा विगत नियत तिथि पर उभय पक्ष की उपस्थिति में न्यायाधिकरण द्वारा तस्दीक किया जा चुका है। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा 16B की पुष्टि की गयी है तथा याचीगण सुलहनामा 16 बी में दर्शित कुल ₹ 6,45,000/– प्रतिकर के रूप में लेने हेतु तैयार है जिसे विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु सहमत हैं। अतः याचिका सुलहनामा 16 बी की शर्तो अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण की याचिका सुलहनामा 16 बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। विपक्षी सं. 3 मुख्य प्रबन्धक चोला मण्डलम एम. एस. जनरल इंश्योरेन्स कं. लि. को आदेशित किया जाता है कि वह प्रतिकर की धनराशि ₹ 6,45,000/– (छैः लाख पेंतालीस हजार) 30 दिन के अन्दर न्यायाधिकरण में जमा करें। उक्त प्रतिकर की धनराशि में से प्रत्येक याची ₹ 3,22,500/– (तीन लाख वाईस हजार पांच सौ) के हकदार होंगें जिसमें से प्रत्येक याची का ₹ 2,58,000/– (दो लाख अन्ठावन हजार) 3 वर्ष के लिये सावधि जमा योजना में जमा किया जाएगा जिसका मासिक व्याज याचीगण प्राप्त करते रहेंगे। प्रत्येक याची ₹ 64,500/– एकाउण्ट पेयी चेक/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से प्राप्त करेंगे। सुलहनामा 16 बी इस आदेश का भाग रहेगा।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.08.13 11:11:40 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi